ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖

राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,चिड़ावा,(झुंझुनू)
जिला - झुन्झुनू

राज्य के अन्य पिछडे वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछडा वर्ग /24604927151
दिनांक:21-05-2024
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 5166667634

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 सुश्री अवनी चौधरी पुत्र/पुत्री श्री धर्मेन्द्र , माता का नाम - श्रीमती नीलम, राजस्थान राज्य के जिला [illegible] वार्ड/ग्राम- 147, झाझोत, गिडानिया, चिड़ावा, झुन्झुनू के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थायी [illegible] निवास करता है/करती है/करते है।

02 उक्त सुश्री अवनी चौधरी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग [illegible] अधि[illegible] सं.प.11(164) आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछडे वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की [illegible] हैं।

03 उक्त सुश्री अवनी चौधरी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नही हैं।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना [illegible] प.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यु /ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी [illegible] हेतु डि[illegible] हस्ता[illegible] के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये [illegible] ई-दस्तावेजात [illegible] आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया [illegible]।

3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन [illegible] एवं सम्बंधित [illegible] दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित [illegible] सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण[illegible] को [illegible] www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित [illegible] टोकन संख्या - 240623212653

*राज्य के पिछडे वर्ग के लिये राज्य [illegible] सरकार [illegible] सेवाओं में नियुक्तियों और [illegible] की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा (झुंझुनू)

Signature valid

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2024.05.21 14:26:37 +05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

EMEGBS 02149408

Sample Format

e-Mitra